उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्याः 672–कार्य/चौदह–पाकालि/2010–92–के/2009 दिनांकः जून ७, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–2057/23–7–2009–25(सा)/2009 दिनांक 30 जून 2009 एवं शासनादेश संख्या–425/23–7–2010–25(सा)/2009 दिनांक 29.01.2010 के अनुपालन में निविदा के माध्यम से कराये जाने वाले रू0 25 लाख तक के कार्यों में अनुसूचित जाति हेतु 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 02 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण निगमों एवं केस्को कानपुर में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जाने हेतु आदेशित किया जाता है :–

1. निर्धारित प्रारूप के अनुसार रू0 25 लाख तक के कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली निविदाओं की सूची रजिस्टर मेनटेन किया जायेगा।
2. प्रत्येक कार्यकारी खण्ड/मण्डल/क्षेत्र/मुख्यालय से निर्गत की जाने वाली निविदा में उक्त रजिस्टर मेनटेन किया जायेगा जो कि कमवार होगा। वित्तीय वर्ष से उसका कोई सम्बन्ध नही होगा।
3. उक्त कमावली में आने वाली 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 81, 86, 91, 96, 100 कम पर आने वाली निविदा शासनादेश जारी होने की तिथि से अनुसूचित जाति के ठेकेदारों हेतु आरक्षित रहेगी।
4. 47वाँ एवं 97वाँ निविदा अनुसूचित जन जाति के निविदाकर्ताओं हेतु आरक्षित रहेगी।
5. कमांक 100 पर पहुँचने के बाद पुनः कम संख्या–03 एवं 04 पर वर्णित प्रकिया अपनायी जायेगी।
6. यदि शासनादेश के दिनांक से कोई बैकलॉग उत्पन्न हुआ हो तो उस पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शत–प्रतिशत ठेकेदारों को ही आवंटित होगा।
7. उक्त कमावली में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उक्त उपर्युक्त वर्णित कमांक में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये।
8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारो की परिभाषा उक्त शासनादेशों एवं समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार रहेगीं।
9. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारो को शासन/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 672(1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0 प्र0 शासन, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध प्रमुख निजी सचिव, उ0 प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन,लखनऊ।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0 प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/ट्रांस्को–लखनऊ/ केस्को–कानपुर ।
5. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वितरण/वित्त/वाणिज्य, उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन,

6 .अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / कार्मिक / अराजपत्रित उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन,लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण / पारेषण) उ०प्र०पा०का०लि० ।
8. मुख्य अभियन्ता (आपरेशन / परियोजना, पारेषण) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन,लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध) ,उ०प्र०पा०का०लि०।
10 .मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) / वित्त उ०प्र०पा०का०लि०,।
11. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि० ।
12. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पा०का०लि० ।
14. समस्त मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी / उपमुख्य लेखाधिकारी,उ०प्र०पा०का०लि० ।
15. कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ ।
16. कम्पनी सचिव, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल / पूर्वांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल / लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / ट्रांस्को–लखनऊ / केस्को–कानपुर ।

आज्ञा से,

(नन्द लाल)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)